लोको पायलट्स का मुद्दा गर्माया, 17 विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ लामबंद हुये

विपक्ष के 17 से अधिक सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ट्रेन चालकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं परेशानियों को उजागर किया है

नई दिल्ली, 10 जुलाई। विपक्षी दलों के 17 से अधिक सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ट्रेन चालकों से जुड़े उन विभिन्न मुद्दों को उजागर किया है, जो उन्हें परेशान करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप रेड-सिग्नल ओवरशूट के साथ-साथ रेल दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि, रेल मंत्री वैष्णव ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विपक्ष लोको पायलटों को हतोत्साहित करने के लिए गलत सूचनाएं फैला रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि 'लोको पायलट' रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं लेकिन विपक्ष उनका मनोबल गिराने के लिए काफी दुष्प्रचार एवं नाटक कर रहा है। वैष्णव ने 'एक्स' पर ट्रेन चालकों की कार्यदशा सुधारने के लिए रेलवे द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "लोको पायलट की ड्यूटी के घंटे पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जाती है। यात्राओं (फेरों) के बाद ध्यानपूर्वक उन्हें आराम दिया जाता है। ड्यूटी के औसत घंटे निर्धारित घंटों (समय सीमा) के अंदर बनाकर रखे जाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इस साल जून माह में (ड्यूटी की) औसत अवधि आठ घंटे से कम रही। आकस्मिक परिस्थितियों में यात्रा अवधि निर्धारित घंटों से अधिक हो जाती है।" रेल मंत्री ने कहा कि 7000 लोको कैब और लगभग सभी (558) रनिंग रूम अब वातानुकूलित हैं।

लोको पायलट यूनियन, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा इन सांसदों से संपर्क करने और उनसे अपनी समस्याओं को रेल मंत्री के संज्ञान में लाने का अनुरोध करने के बाद, 5 सांसदों ने अलग-अलग पत्र लिखे हैं, जबकि 12 सांसदों ने हाल ही में एक संयुक्त नोट भेजकर ट्रेन चालकों के लिए ज्यादा सुविधाएं और आराम देने की मांग की है।

डीएमके के राज्यसभा सांसद एम षणमुगम ने अपने पत्र में लिखा, "हमारा मानना है कि थकान और आराम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने के कारण ही नींद की आगोश में रहने वाले चालकों से सावधानी में कमी देखी जाती है। यहां तक कि रेलवे सुरक्षा पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी सिफारिश की है कि रनिंग स्टाफ के लिए लगातार रात की ड्यूटी दो रातों तक ही सीमित होनी चाहिए। उन्हें फिर से ड्यूटी पर भेजे जाने से पहले कम से कम एक पूरी रात सोने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

वर्तमान में, रेलवे के नियम लगातार चार रात की ड्यूटी की अनुमति देते हैं और लोको पायलट इसे घटाकर दो रात करने की मांग कर रहे हैं। षणमुगम के अनुसार, रेलवे प्रशासन ने उन लोको पायलटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है, जिन्होंने आराम के लिए साप्ताहिक छुट्टी ली थी। लोको पायलटों ने ऐसी कार्रवाई भी वापस लेने की मांग की है।

बता दें कि पिछले सप्ताह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 'लोको पायलट' के एक समूह के साथ बैठक की थी। इन 'लोको पायलट' ने "कम कर्मियों की वजह से पर्याप्त आराम नहीं मिलने" की शिकायत की थी। गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह संसद में उनके मुद्दे उठायेंगे।

'भाजपाई सबसे बड़े भूमाफिया, अयोध्या की जमीन भी नहीं छोड़ी'

इटावा , 10 जुलाई (वार्ता)। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण स्थल के आसपास भाजपाइयों ने बड़े पैमाने पर बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा कर खुद को भू माफिया के रूप में पेश किया है।

सिविल लाइन स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होने कहा कि भाजपा से जुड़े हुए लोग विपक्ष को भू माफिया बताते है जबकि असली भू माफिया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोग है,जिन्होंने अयोध्या की ही बेशकीमती जमीन को नहीं बख्शा है।

जैसे-जैसे अयोध्या की ज़मीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफ़ा कमाने के लिए बड़े स्तर पर ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त की है।

उन्होने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पिछले सात सालों से सर्किल रेट न बढ़ाना, स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपये के भूमि घोटाले हुए हैं।

दिया कुमारी ने अपने पहले बजट में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घोषणा की गई है।

एनर्जी सेक्टर में 2031-32 का टारगैट रखकर 2.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2031 तक परंपरागत स्त्रोतों से 20,500 मेगावाट और अक्षय ऊर्जा के स्त्रोत से 35,600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की घोषणा की गई है। बजट में इस साल बिजली से वंचित 2.08 लाख घरों में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। पचास हजार मेगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए बीकानेर के पूगल, छतरगढ़ और जैसलमेर के बोडाना में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। हर जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें दो मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, इसमें 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा।

- **बजट में एनर्जी सैक्टर पर 2031-32 का लक्ष्य रख कर 2.25 लाख करोड़ रूपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।**
- **बजट में 5 साल में 13,000 किलो मीटर लम्बा सड़क नैटवर्क बनाने की घोषणा की गई है, जिस पर 60,000 करोड़ रूपए खर्च होंगे।**

बजट में पांच साल में 13 हजार किमी लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की गई है, इस पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, इसके लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी की मरम्मत के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिपरजॉय तूफान से टूटी सड़कों और ओवरब्रिज की मरम्मत के लिए 2 साल में 644 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उपखंड और तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय की सड़क से जोड़ने के लिए 306 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालौर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलौदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-कोटपुतली 290 किमी शामिल हैं।

उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में दिया कुमारी ने कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में 4 राम-जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान किया गया है। बाड़मेर के धर्मपुरा, उदयपुर के माल की तूस, पाली के वरकाना और बूंदी के नैनवा में रामजानकी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें थीम बेस्ड इंडस्ट्री पार्क, ट्रांसपोर्ट के लिए रिसर्च और टैक्नॉलजी और ग्रीन टैक्नॉलजी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा टैक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान वेयरहाउसिंग पॉलिसी, नई एमएसएमई पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इस साल होने वाले इन्वेस्टर समिट के साथ नॉन रेजिडेंट राजस्थान कॉन्क्लेव आयोजित होगा।

'बजट की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनाए गए जिलों का बजट में जिक्र नहीं होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला बनाने पर कम से कम 3 हजार करोड़ का खर्च आता है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने बिना बजट तथा बिना आवश्यकता के ही नए जिलों की घोषणा कर दी थी। साइबर क्राइम पर रोक के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करवा रही है और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सफाया किया जा रहा है। पिछली सरकार में पेपरलीक का कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया लेकिन हमने 6 माह में 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है।

'हर महिला अपने पति से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुरूष इस तथ्य से वाकिफ हैं, वे घरेलू व्यय के अलावा अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जॉइंट बैंक अकाउन्ट अथवा उसके खाते का ए.टी.एम. उपलब्ध करवाते हैं।

उन्होंने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि "विवाहित महिला की कमजोर आर्थिक स्थिति का समाधान करना वास्तव में एक संवैधानिक दायित्व है। इन महिलाओं में वह तलाकशुदा महिला भी शामिल है, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं होता। यह सर्वविदित है कि विवाहित स्त्री अपने परिवार का पालन-पोषण करने, बच्चों को पालने और बुजुर्गों की सेवा के लिए अपने रोजगार के अवसरों का त्याग करती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिय संहिता की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला को उसके पति से तलाक मिलने के बाद भी वह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है और यह भरण-पोषण दान दया नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है।

कोर्ट ने कहा, "यह अधिकार धार्मिक सीमाओं से परे है। लिंग की समानता के सिद्धांत को लागू करने वाला एवं समस्त विवाहित महिलाओं के वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाला है।"

धारा-125 व्यापक रूप से कहती है कि एक व्यक्ति जो साधन सम्पन्न है वह अपनी पत्नी, बच्चों अथवा माता-पिता को भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता है।

कोर्ट का यह फैसला मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका पर आया है जिसे एक परिवार न्यायालय ने उसकी तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण के बतौर अदा करने का निर्देश दिया था। समद ने इस निर्णय को तेलंगाना के उच्च न्यायालय में चुनौती दी थ जिसने इस राशि में संशोधन करके इसे 10,000 रूपये किया था। उसके बाद उसने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसकी ओर से वकील ने तर्क में कहा कि मुस्लिम महिलाएँ (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डायवोर्स) एक्ट 1986 के तहत ज्यादा संसाधन की मांग कर सकती है और इस बात पर जोर दिया कि यह अधिनियम सी.आर.पी.सी. की धारा 125 के तहत जो कुछ मिलता है उससे काफी अधिक मात्रा में प्रदान करता है।

वकील ने यह भी तर्क पेश किया कि एक्ट के संदर्भ में विशेष कानून सामान्य कानून के ऊपर लागू होगा।

कोर्ट मित्र सहायक गौरव अग्रवाल ने तर्क का जवाब दिया कि जैन्डर न्यूट्रल सी.आर.पी.सी. के तहत पर्सनल लॉ एक महिला के राहत पाने के हक को छीन सकता है।

थकाने वाले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन शिवसेना की मन:स्थिति भाजपा से दूर रहने की ही बनी हुई है क्योंकि भाजपा में अब गिरावट आती जा रही है।

लोकसभा चुनाव में इस गठबन्धन की उपलब्धि अच्छी रही थी तथा गठबन्धन को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में उसकी स्थिति और भी बेहतर रहेगी तथा वह सरकार बनायेगा।

ऐसी चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं उसके बाद शिव सेना तथा सबसे कम सीटों पर एन.सी.पी. पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि भाजपा इसके दो टुकड़े कर चुकी है।

ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में जबरदस्त प्रचार अभियान चलायेंगे क्योंकि भाजपा के हारने से कांग्रेस और उसके गठबन्धन पार्टनरों की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग जाएंगे। फिलहाल, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने गये हुए हैं तथा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उनके लौटने के बाद ही, पार्टी के पुनर्गठन का एजेंडा क्रियान्वित होगा। इस प्रक्रिया में पुराने नेताओं का महत्व नगण्य हो जायेगा तथा विभिन्न राज्यों में चुनाव-अभियान के नेतृत्व के लिये समर्पित लोग आगे लाए जाएंगे।

भाजपा का नया अध्यक्ष बनाने में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में संशोधन किया था तथा इस प्रकार के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार पार्टी के संसदीय बोर्ड को दे दिया था। इसलिए, पार्टी नड्डा के कार्यकाल को कानूनी रूप से बढ़ा सकती है। लेकिन संकट की बात यह है कि पार्टी की ओर से इस मामले में अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। इसलिये प्रश्न यह है कि नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने या कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने के सम्बन्ध में विधिवत रूप से कोई घोषणा करने में आखिर क्या बाधाएं आ रही हैं?

- **वैसे भी नड्डा इस समय तीन महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं: पार्टी अध्यक्ष, राज्यसभा में सत्तापक्ष के नेता व कैबिनेट मंत्री। ये तीन जिम्मेवारियाँ एक ही व्यक्ति को देना पार्टी के एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत का उल्लंघन है।**
- **पर, चर्चा यह है कि नड्डा दिसम्बर में चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों तक तीनों पदों पर बने रहेंगे।**

लोकसभा चुनावों के प्रचार अभियान के दौरान नड्डा ने एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुये कह दिया था कि भाजपा अब किसी भी रूप में आर.एस.एस. पर निर्भर नहीं है। जाहिर है, आर.एस.एस. इस टिप्पणी से नाराज़ हो गई थी। अगर आज की स्थिति देखी जाये तो नड्डा के पास तीन पद हैं - वे राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं, वे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री हैं तथा वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस स्थिति को भाजपा के "एक व्यक्ति एक पद" के सिद्धान्त का उल्लंघन माना जा रहा है इसके अलावा इसे भाजपा द्वारा की जा रही आर.एस.एस. की अवज्ञा के रूप में भी देखा जा रहा है।

आर.एस.एस. चाहती है कि अगले भाजपा अध्यक्ष के मामले में वह हस्तक्षेप करे जबकि वर्तमान पार्टी नेतृत्व जनवरी 2025 तक नड्डा को ही इस पद पर बनाये रखना चाहता है क्योंकि तब तक महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड तथा जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी का सदस्यता अभियान अगस्त से शुरू होना है तथा इसके बाद मंडल तथा राज्य स्तरीय चुनाव होंगे। इस प्रक्रिया के इस वर्ष के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना नहीं है। और यह सब होने से पहले, नये अध्यक्ष की घोषणा सम्भावित दिखाई नहीं दे रही। 2019 में, जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केन्द्र सरकार में शामिल किये गये थे, तब नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस समय, ऐसे कोई संकेत नहीं है कि नड्डा को उनका कोई स्थानापन्न या उत्तराधिकारी अभी मिल जाएगा।

'विमानों जैसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये बसे बिजली से चलती हैं। उन्होंने कहा, इन बसों को देखने के बाद मैने टाटा को बोला कि चेकोस्लोवाकिया की स्कोडा कंपनी के साथ समझौता करो और इस तरह की बसों को भारत में लेकर आओ। उन्होंने बताया कि हिताची नामक कंपनी ने बताया कि 132 सीट की बस चार्ज होगी और एक बार चार्ज करने पर वह 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908